

उपस्थित अधिकारी
कोलावत

14/05/22

पत्रावली पेशा दुई अपीमान्त उपाधित/कमी
अपीमान्त श्री उपाधिता अपीमाह नें उपाधित

पत्रावली
अपीमान्त

खुद हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस पत्र

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

आकर आर्चना पत्र इस मसाले का उल्लेख किया है कि आपसी मतभेदों व राजीनामा से उसका रैस्पॉन्डेंट के साथ सम्बन्ध तोड़ दिया है व वह अब आगे अपील पत्रावली में कोई आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्रावली को वह अभी स्टैज पर जरिये विद्वों खारिज करवाना चाहता है।

पत्रावली का अफिलोक्स किया गया। चूंकि अपीलान्ट अपील को जरिये विद्वों खारिज करवाना चाहता है अतः अपीलान्ट का आर्चना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विद्वों खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसलें सुफार होकर नम्बर सेकम हो। निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को राष्ट्रीय लोक सभा में सरे इजलास सुनया गया।

चूंकि अपील पत्रावली जरिये विद्वों खारिज की जा चुकी है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निरोध आदेश क्रमांक 2282-2283 दिनांक 03/12/2020 को निरस्त समझा जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राज्य) कोलायत को बाले पालनार्थ त्रिजवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर